उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-10/2022/143प्र0स0/92-2-2022-10जॉच/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 25 मई 2022

कार्यालय-ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत जनपद-कासगंज के पैकेज संख्या-2164 अमापुर से शिडपुरा मार्ग कि0मी0 (8.00 से 15.225) के अनुबंध संख्या-17/एस0ई0/2009-10 दिनांक 20.10.2009 का कार्य दिनांक 05.08.2010 को पूर्ण होने के उपरान्त उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3 सामान्य 1 एवं 2 क अंतर्गत अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाहन न करने, पद का दुरूपयोग करने, तथा अधीनस्थो पर नियंत्रण न रख पाने, उ0प्र0 शासन के आदेशों के अनुरूप पीएमजीएसवाई के दिशा निर्देशों/शासनादेशों/वित्तीय नियमों तथा परिमण्डल में चल रहे निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य का सुपरवीजन न करने 01 निरस्त अनुबंध का कार्य दूसरे विभाग को हस्तानान्तरण होने के उपरांत भी अनुबंध को पुनजीर्वित किये जाने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1071/ 92-2-2020-10जांच/2019 दिनांक 02.06.2020 द्वारा श्री रूपेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ सम्प्रति परिमण्डल लखनऊ को आरोप पत्र देते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-1727/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-कासगंज/2020-21 दिनांक 03-11-2020 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी श्री रूपेश कुमार पर अधिरोपित कुल 01 आरोप को स्थापित होना पाया गया। प्रमाणित पाये गये आरोपो के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 13.01.2021 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मॉगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 27.02.2021 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी, श्री रूपेश कुमार पर अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या व अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन आदि का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत जनपद-कासगंज के पैकेज सं0-2164 अमापुर से शिडपुरा मार्ग कि0मी0 (8.00 से 15.225) के अनुबंध संख्या-17/एस0ई0/2009-10 दिनांक 20.10.2009 का कार्य दिनांक 05.08.2010 को पूर्ण होने के उपरान्त अनुरक्षण कार्य पूर्ण न करने के कारण कार्यालय अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-अलीगढ के आदेश सं0-588 दिनांक 22.09.2014 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से अनुबंध निरस्त किया गया था। अनुबंध निरस्तीकरण के उपरांत एस0 क्यू0एम0 द्वारा दिनांक 18.05.2015 को प्रश्नगत कार्य का निरीक्षण किया गया, जिसमें संदर्भित मार्ग पर अनुरक्षण न करने का उल्लेख किया गया है तथा उक्त प्रश्नगत मार्ग पर 05 वर्ष की अनुरक्षण अवधि दिनांक 05.08.2015 को समाप्त हो चुकी थी। उक्त प्रश्नगत कार्य दिनांक 22.06.2016 को लोक निर्माण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विभाग को हस्तानान्तरित किया जा चुका था फिर भी श्री वर्मा द्वारा उक्त संदर्भित अनुबंध को अपने कार्यालय आदेश संख्या-1001 दिनांक 21.11.2017 द्वारा पुनर्जीवित कर दिया गया। इस प्रकार श्री रूपेश कुमार ने एस0क्यू0एम0 द्वारा दिनांक 18.05.2015 को किये गये निरीक्षण में अनुरक्षण न किये जाने का उल्लेख को न ध्यान देने, प्रश्नगत मार्ग पर 05 वर्ष की अनुबंधित अनुरक्षण अवधि दिनांक 05.08.2015 को समाप्त होने तथा प्रश्नगत कार्य दिनांक 22.06.2016 को लोक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरित होने के लगभग डेढ वर्ष बाद अनुबंध को पुनजीर्वित करने के कारण श्री रूपेश कुमार को उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3 सामान्य (1) एवं (2) के अन्तर्गत अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाहन न करने, पद का दुरूपयोग करने तथा अधीनस्थों पर नियंत्रण न रखने हेतु श्री रूपेश कुमार को उत्तरदायी पाते हुये आरोपित किया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

अपचारी अधिकारी, श्री रूपेश कुमार, अधीक्षण अभियंता द्वारा अपने बचाव उत्तर दिनांक 19.10.2020 में उल्लेख किया गया कि हस्तानान्तरण प्रपत्र में उल्लिखित टिप्पणी की "स्थलीय निरीक्षण में मार्ग की लेपित सतह की चौडाई एवं क्रस्ट की औसत मोटाई सही पायी गयी। मार्ग की सतहपर कतिपय दाग, पैच आदि सृजित है यद्यपि ओवरआल दशा संतोषजनक है के आधार पर यह निष्कर्ष निकलते हुये कि संबंधित फर्म द्वारा एस0क्यू0एम0 के निरीक्षण के उपरान्त मार्ग हस्तानान्तरण के पूर्व अनुरक्षण कार्य पूर्ण करने की स्थिति से अवगत कराते हुये अधिशासी अभियंता प्रखण्ड-कासगंज द्वारा अनुबंध को बहाल करने की संस्तुति के क्रम में पत्र संख्या-588 दिनांक 22.09.2014 द्वारा किये गये निरस्तीकरण को अन्तिम वर्ष के भुगतान सहित जीवित किया गया। योजना के कार्य संचालन हेतु 2002 से वर्तमान तक जारी एस0बी0डी0 में अनुबंध को निरस्त करने के निर्देश दिये गये है परन्तु अनुबंध को पुनजीर्वित करने की कोई व्यवस्था नही दी गयी है। वर्ष 2010 तक ऐसे अनेक अनुबंध को पुनर्जीवित करने के लिये एप्लायर द्वारा अनुमति दी गयी है, जिसके क्रम में शासकीय सहित/कार्यहित के दृष्टिगत रखते हुये कतिपय अनुबंध पुनर्जीवित भी किया गया है जिस पर शासन/यूपीआरआरडीए के द्वारा कोई आपत्ति नही उठायी गयी थी। आर्बीट्रेटर द्वारा भी अपने निर्णय में अनुबंध पुनर्जीवित किये जाने के संबंध में कोई विपरीत अंश अंकित नही किया गया है बल्कि मै0 पॉलीवाल कान्स्ट्रक्शन (ठेकेदार) द्वारा ही अनुरक्षण का कार्य कराये जाने की पुष्टि करते हुये भुगतान करने का आदेश पारित किया गया था।

<u>जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना का निष्कर्ष</u>

जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या की विवेचना/निष्कर्ष में पाया कि अपचारी अधिकारी, श्री रूपेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ द्वारा यदि पूर्व में निरस्त अनुबंध पर धनराशि जब्तीकरण की कार्यवाही जो नही की गयी थी, को शासन के हित में धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार था जो न करते हुये अनुबंध को पुनर्जीवित किया गया जिसके कारण ठेकेदार के पक्ष में देनदारियॉ भी पुनर्जीवित हुई, जिसके लिये अपचारी अधिकारी, श्री रूपेश कुमार के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या-1 को स्थापित पाया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी, श्री रूपेश कुमार ने अपने अभ्यावेदन में प्रमाणित पाये गये उक्त् आरोप के संबंध में अभिकथित किया कि निरस्त अनुबंध को पुनजीर्वित करने की कार्यवाही मात्र उनके स्तर से ही नही की गयी थी जो भी कार्यवाही की गयी थी वो विभागीय प्रक्रिया के तहत की गयी थी। विभाग में इसके पूर्व व बाद में भी ऐसे अन्य अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा विभाग में निरस्त अनुबंध को पुनर्जीवित करने की कार्यवाही की गयी थी। उस समय विभागीय उच्चाधिकारियों/ यूपीआरआरडीए तथा शासन स्तर से कोई आपत्ति नही उठायी गयी थी। श्री रूपेश कुमार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि जो प्रक्रिया उनके द्वारा अपनायी गयी थी विभाग में पूर्व प्रचलित के तहत ही था।

3- अपचारी अधिकारी श्री रूपेश कुमार के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं शासकीय क्षति/अंश निहित होने के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता की आख्या दिनांक 08.04.2022 व 27.04.2022 तथा अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरांत पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की शासकीय क्षति कारित किया जाना नही पाया गया है किन्तु अपचारी अधिकारी श्री रूपेश कुमार को निरस्त अनुबंध को पुनजीर्वित किये जाने हेतु उत्तरदायी पाया गया है। अत: श्री रूपेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ सम्प्रति परिमण्डल लखनऊ के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1071/92-2-2020-10जॉच/19 दिनांक 02-06-2020 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"श्री रूपेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ सम्प्रति परिमण्डल लखनऊ **द्वारा** निरस्त अनुबंध को पुनजीर्वित किये जाने के लिये उन्हें **परिनिन्दित** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 10/2022/143प्र0स0(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- श्री रूपेश कुमार, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, परि0-अलीगढ सम्प्रति परिमण्डल-लखनऊ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in